माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

निगरानी संख्या/- I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/1019

राजाभैया यादव आयु 19 वर्ष पेशा कृषि पुत्र स्व0 लाखन सिंह यादव निवासी ग्राम धनवाहा तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ----------- आवेदक

बनाम

1/- पूरन यादव आयु 47 वर्ष पुत्र स्व0 रामदयाल यादव

2/- जगदीश उर्फ लल्ला यादव आयु 42 वर्ष पुत्र रामदयाल

दो0- निवासीगण ग्राम धनवाहा तह0 व जिला टीकमगढ़

3/- महिला लड्डू यादव आयु वर्ष पुत्री रामदयाल पत्नि जगतसिंह यादव नि0 खिरियानाका तह0 व जिला टीकमगढ़

4/- महिला राजू यादव पुत्री स्व0 रामदयाल पत्नि. जगभान नि0 धौरीसागर मडावरा तहसील महरौनी जिला ललितपुर उ0

5/- महिला उर्मिलाबाई उर्फ ममता यादव पुत्री स्व0 रामदयाल पत्नि मुलायमसिंह यादव नि0 ठकरा मडावरा तहसील महरौनी जिला ललितपुर उ0 प्र0

6/- महिला रमकुल्ला यादव पुत्री स्व0 रामदयाल पत्नि खन्तसिंह यादव नि0 जरावली टपरियन जिला ललितपुर उ0

======== अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 दिनांक 8-8-2017 जो कि प्रकरण क्रमांक 22/निगरानी0/2010-011 में पारित किया गया ।

महोदय,

आवेदक अपनी निगरानी में सादर निम्न विनय करता है: -

1/- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम धनवाहा की भूमि खसरा नम्बर 1251/8 रकवा 1-618 हे0 पर भूमिस्वामी महिला मुनिया बेवा लल्ले यादव के फौत होने पर आवेदक के पिता लाखन सिंह का नाम दर्ज किया गया इस नामांतरण पंजी क्रमांक 14 दिनांक 15-9-1996 के विरूद्ध आवेदक के पिता लाखन सिंह के पिता रामदया

18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1019 राजाभैया विरूद्ध पूरन यादव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 22/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 08-08-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के. जैन) 3.1.19
सदस्य